कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/गेस्ट फेकलटी/12226/2021/79-83 दिनांक – 17/02/2022

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी

विषय :– "विद्या संबल योजना" लागू किये जाने सम्बन्धी बजट घोषणा संख्या 54.0.54 की क्रियान्विति के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– शासन का पत्रांक प.17(23)शिक्षा–2/2021 जयपुर दिनांक 30/06/2021 एवं प.17(50)शिक्षा–2/2021 दिनांक 24/01/22

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021–22 में की गई बजट घोषणा संख्या 54.0.05 "राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए "विद्या संबल योजना" लागू की जावेगी की क्रियान्विति हेतु वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30/03/2021 के द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

विभाग में शिक्षण कार्यो में शिक्षकों/प्रशिक्षकों/प्रयोगशाला सहायकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है, अतः विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए संस्थानों/महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य को सुचारू बनाने के लिए "विद्या संबल योजना" लागू की जा रही है, योजना के प्रभावी क्रियान्वियन के लिए जिला मुख्यालय पर सम्बन्धित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को एतद् द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते है:–

1. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी।
2. सम्बन्धित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले **सेवानिवृत कार्मिक** को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
3. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें:–

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान

पद(अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–III	1 से 8	300/–	21000/–
ग्रेड–II	9 से 10	350/–	25000/–
ग्रेड–I	11 से 12	400/–	30000/–
शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक	–	300/–	21000/–
प्रयोगशाला सहायक	–	300/–	21000/–

4. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।
5. ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी अधीनस्थ संस्थाओं/महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालयों में संवर्गवार एवं विद्यालयवार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आकंलन कर प्रस्ताव मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएगें।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गैस्ट फैकल्टी हेतु रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त सूचना को समेकित कर संवर्ग वार रिक्त पदों के अनुरूप सेवा निवृत कार्मिकों को संविदा पर नितांत अस्थाई तौर पर सत्रांत तक अथवा पद भरने तक नियुक्ति हेतु

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

सूचना जारी कर आवेदन आमंत्रित करेगें एवं प्राप्त आवेदन पत्रों को संवर्गवार संकलित कर व्याख्याता एवं समकक्ष पद पर नियुक्ति के पात्र कार्मिको की संविदा नियुक्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को, वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को एवं तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं समकक्ष पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों को जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को नियुक्ति हेतु प्रेषित करेंगे।

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
8. संस्था प्रधान द्वारा संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। गेस्ट फैकल्टी के रूप में रखे जाने वाले कार्मिकों को भुगतान सम्बन्धित विद्यालय में 01–संवेतन उपमद में उपलब्ध रिक्त पद के बजट प्रावधान से किया जावेगा।
9. आरक्षण के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो की पालना सुनिश्चित करावे।
10. एक ही पद हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति की वरियता आवेदक द्वारा प्रस्तुत गत 2 वर्षो के परीक्षा परीणाम एवं सेवा निवृत न्यूनतम आयु के प्रार्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

Rajasthan Education Department

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय
3. समस्त ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी
4. सुम्बन्धित पीईईओ / युसीईईओ
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

सूचना प्रारूप

विद्या संबल योजनान्तर्गत गैस्ट फैकल्टी हेतु सेवा निवृत राजकीय कार्मिक के आवेदन के क्रम में

नितांत अस्थाई तौर पर सत्रांत तक अथवा पद भरने तक की अवधि के लिए संविदा नियुक्ति हेतु सेवा निवृत राजकीय कार्मिकों से आवेदन पत्र वांछित रिक्त पदों हेतु आमंत्रित किये जा रहे हैः–

1. इच्छुक आवेदक रिक्त पदों अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु पृथक–पृथक (पदवार/विद्यालयवार) आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
2. आवेदन हेतु सत्रांत समाप्ति की तिथि की गणना अनुसार 65 वर्ष से कम उम्र के सेवा निवृत कार्मिक ही पात्र होंगे।
3. आवेदन हेतु संवर्गवार/विद्यालयवार जिले में रिक्त पदों का विवरण मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावेगा।
4. महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आवेदन हेतु महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के निर्धारित मापदण्ड की योग्यता वाले प्रार्थी ही आवेदन कर सकेगें।
5. आवेदन हेतु अन्तिम तिथि सूचना प्रकाशित होने के 05 दिवस तक रहेगी।
6. आवेदन सम्बन्धित विद्यालय में ही प्रस्तुत किया जावेगा।
7. अन्तिम तिथि पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
8. आवेदक द्वारा जिस पद हेतु संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन किया जा रहा है, उसके साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने हैः–
   (अ) निर्धारित आवेदन पत्र
   (ब) निर्धारित शपथ पत्र
   (स) सेवानिवृति के पूर्व के दो वर्षो के परीक्षा परीणाम की प्रमाणित प्रति
   (द) आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता के प्रमाण पत्र

हस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

24

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी.........................

विद्या संबल योजनान्तर्गत गैस्ट फैकल्टी में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

आवेदित विद्यालय का नामः–

आवेदित पद का नामः–

व्यक्तिगत जानकारी

1. नाम ....

2. पिता का नाम ....

3. जन्मतिथि ....

5. सेवा निवृति तिथि ....

6. सेवा निवृति के समय धारित पद ....

7. पत्राचार हेतु स्थाई पता ....

PHOTO

8. मोबाईन नम्बर

9. ईमेल

10. गत 02 वर्षो का परीक्षा परीणाम

सत्र		
परीक्षा परीणाम प्रतिशत में		

11 योग्यता का विवरण

संलग्नः–

मै .... पुत्र/पुत्री/पत्नी ....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हुँ की उपरोक्त वर्णित सूचना सही है। अगर कोई सूचना गलत पाई जावे तो मेरी संविदा नियुक्ति निरस्त की जाने पर किसी तरह का न्यायालय वाद प्रस्तुत नहीं किया जावेगा। मेरी सेवाऐं संविदा/गैस्ट फैकल्टी आवश्यकता अनुसार प्रति घंटा मानदेय पर होगी। मै मेरी उक्त संविदा नियुक्ति को नियमित करने हेतु न्यायालय में किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत नहीं करूगां/करूंगी।

हस्ताक्षर

नोटः– 1. पृथक–पृथक विद्यालय में एक ही संवर्ग के रिक्त पद हेतु पृथक–पृथक सम्बन्धित विद्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जाना है।

2. एक ही पद हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति 2 वर्षो के गत परीक्षा परीणाम एवं सेवा निवृति तिथि की प्राथमिकता से की जावेगी।

3. आवेदन हेतु 65 वर्ष से कम उम्र के सेवा निवृत कार्मिक ही पात्र होगें।

Rajasthan Education Department

विद्या संबल योजनान्तर्गत गैस्ट फैकल्टी में नियुक्ति हेतु निर्धारित शिड्यूल

क्र.सं.	कार्यवाही विवरण	निर्धारित दिनांक
1.	गैस्ट फैकल्टी में संविदा नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का आंकलन	18 फरवरी, 2022 तक
2.	गैस्ट फैकल्टी में संविदा नियुक्ति हेतु सूचना प्रकाशन	21 फरवरी, 2022 तक
3.	रिक्त पदों का विवरण चस्पा किया जाना	21 फरवरी, 2022 तक
4.	आवेदन प्राप्त करना	26 फरवरी, 2022 तक
5.	प्राप्त आवेदनों को संकलित कर नियुक्ति अधिकारी को प्रेषित किया जाना	02 मार्च, 2022 तक
6.	नियुक्ति अधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु प्रस्ताव अनुमोदन/ संविदा नियुक्ति हेतु आदेश जारी किया जाना	07 मार्च, 2022 तक

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते